

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर  
लोक अदालत , न्याय आपके द्वार अभियान - 2017

दनांक..... 18/5/17..... केम्प पंचायत सिमरिया प्रहारा


पत्रावली आज प्रस्तुत हुई । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/आवेदक मौजा क. (3/19/5/2) के खाता संख्या 14 जमाबन्दी संवत .....  
2072-75 किता खेत 13 कुल रकबा 21/2 का सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है । प्रार्थी/आवेदक ने प्रार्थना पत्र में यह भी बताया कि अन्य सहखातेदारान को उक्त सहखातेदारी की भूमि का बंटवारा किए जाने कई बार कहा लेकिन अन्य खातेदार इससे सहमत नहीं हो रहे हैं । प्रार्थी बंटवारा करा कर अपने हिस्से की भूमि पर ऋण आदि लेकर भूमि को उपजाऊ कराना चाहता है लेकिन अन्य खातेदार द्वारा बंटवारा करने से इन्कार किया जाने से वह यह कार्य नहीं कर सकता है ।

प्रार्थी/आवेदक का प्रार्थना पत्र राजस्व वाद अन्तर्गत धारा आरटीए 53 की श्रेणी का होने से वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा प्रार्थी एवं उपस्थित विपक्षीगण अन्य सहखातेदारान को भी सुना गया तथा लोक अदालत की भावना से समझाईश की गई तो अन्य सहखातेदारान बंटवारा के लिए सहमत है ।

पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट एवं बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे पक्षकारान सहमत हैं ।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि संलग्न बंटवारा रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम हो ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सागवाडा